



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02072024-255098  
CG-DL-E-02072024-255098

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 474]  
No. 474]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 2, 2024/आषाढ 11, 1946  
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 2, 2024/ASHADHA 11, 1946

भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण  
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जून, 2024

फा. सं. टी- 21032/1/2020-एनआईसी (ड.)—भांडागारण (विकास एवं- विनियमन) भांडागार पंजीकरण नियम, 2017 के उप-नियम (1-क) नियम 25 के नियम 4 तथा खण्ड (क) के साथ पठित भांडागारण (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2007 (2007 का 37) की धारा 35 की उप-धारा (2) के खण्ड (त) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण निर्धारित करता है कि पंजीकृत भांडागार में निम्न तालिका में दी गई कृषि वस्तुएँ भंडारित की जा सकेंगी, अर्थात्:-

तालिका

क्रम सं. (1)	वस्तु का नाम (2)
1	साँवा मोटा अनाज
2	छोटी कंगनी मोटा अनाज
3	कांगनी (फॉक्सटेल बाजरा) मोटा अनाज
4	अदरक बीज
5	कटहल बीज

6	कोदो मोटा अनाज
7	कुटकी
8	प्रोसो (चीना बाजरा) मोटा अनाज
9	कच्चा अरारोट पाउडर
10	सफेद मटर

- ऊपर दी गई तालिका में निर्धारित वस्तुओं के लिए एगमार्क अथवा भारतीय मानक ब्यूरो अथवा भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की गुणवत्ता विशिष्टताओं अथवा मानकों का अनुसरण किया जाएगा।  
यदि एगमार्क अथवा भारतीय मानक ब्यूरो अथवा भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मानक मौजूद नहीं हैं तो, केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा सरकारी निकायों द्वारा निर्धारित मानक लागू होंगे।
- रासायनिक अथवा सम्बद्ध प्रयोगशाला विश्लेषण के लिए प्रत्यायन सभी एगमार्क प्रयोगशालाएँ, राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा अधिसूचित मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएँ तथा भारतीय मानक ब्यूरो तथा भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएँ परीक्षण के लिए प्राधिकृत होंगी।
- इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार तथा उनके द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएँ कथित वस्तुओं का परीक्षण कर सकेंगी।

एच.के.डबास, निदेशक (तक.)

[विज्ञापन-III/4/असा./243/2024-25]

## WAREHOUSING DEVELOPMENT AND REGULATORY AUTHORITY

(Department of Food and Public Distribution)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 5th June, 2024

**F.No. T-21032/1/2020-NIC (E).**—In exercise of the powers conferred by clause (p) of sub-section (2) of section 35 of the Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007(37 of 2007) read with sub- rule (1A) of rule 4 and clause (a)of rule 25 of the Warehousing (Development and Regulation) Registration of Warehouses Rules 2017,the Warehousing Development and Regulatory Authority hereby determines that the agricultural commodities specified in the Table below shall be stored in a registered warehouse, namely:-

**TABLE**

S.No.	Name of the Commodity
(1)	(2)
1	Barnyard Millet
2	Browntop Millet
3	Foxtail Millet
4	Ginger Seed
5	Jack Fruit seed
6	Kodo Millet
7	Little Millet
8	Proso Millet
9	Raw Arrowroot Powder
10	White Peas

2. The commodities specified in said Table shall comply with the qualitative specifications or standards of the AGMARK or Bureau of Indian Standards or Food Safety and Standards Authority of India:

Provided that in case, standards of AGMARK or Bureau of Indian Standards or Food Safety and Standards Authority of India do not exist for these commodities, quality standards laid down by the Central Government or State Governments or Governmental bodies shall be applicable.

3. For the commodities requiring chemical or allied laboratory analysis, all AGMARK laboratories, all accredited laboratories notified by the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories and laboratories recognised by the Bureau of Indian Standards and Food Safety and Standards Authority of India are authorised for laboratory testing.

4. In addition, the Central Government or the State Government laboratories and other laboratories recognised by them may conduct testing of the said commodities.

H.K. DABAS, Director (Tech.)

[ADVT.-III/4/Exty./243/2024-25]